न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01, मुरादाबाद।

CNR NO. - UPMO04039782/2023

सरकार बनाम रईस आदि।

मुकदमा अ 0 सं0 – 972/2016

थाना- कटघर, जिला-मुरादाबाद।

धारा- 147,452,323,504,506 आई 0 पी0 सी0

दिनांक- 02/08/2023

आज यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण रईस पुत्र अमीर, शाहिद पुत्र शौकत, शरीफ पुत्र शहजाद की ओर से मुकदमा अ 0 सं0– 972/2016, थाना- कटघर, जिला-मुरादाबाद, अंतर्गत धारा- 147,452,323,504,506 आई 0 पी0 सी0 में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नही की है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थीगण ने किसी भी प्रकार की कोई भी मारपीट नहीं की है। घटना का कोई मेडिकल नहीं है जो भी दर्शाया गया है, वह फर्जी है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है, घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी की आख्यानुसार अपराध अजमानतीय है एवं जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है तथा अभियुक्त का अपराध जमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्त रईस पुत्र अमीर, शाहिद पुत्र शौकत, शरीफ पुत्र शहजाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या-01, मुरादाबाद